



# हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

प्रीत विहार, दिल्ली रोड, हापुड़-245101. ☎ 0122-2308764-65

वेबसाइट: www.hpdaonline.com, ई-मेल: hpda\_1@rediffmail.com

ISO9001:2008

## (मानचित्र स्वीकृति पत्र)

मानचित्र सं०: 58/14-15/एल./पी.के.डब्ल्यू. तलपट मानचित्र  
सेवा में,

मै० लक्ष्मी इन्फ्राहोम प्रा० लि०  
द्वारा श्री मनोज कुमार गोयल  
पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गोयल  
निवासी-मौ० मठमलियान, पिलखुवा,  
हापुड़ (उ०प्र०)

पत्रांक 647 / मानचित्र / एच०पी०डी०ए० / 2016  
महोदया,

दिनांक 25.5.16

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 09.10.2014 के सन्दर्भ में प्रस्तावित भवन निर्माण मौहल्ला खसरा सं० 528, मीरपुर रोड, पिलखुवा, कुल क्षेत्रफल 21509.80 पर निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति दिनांक से केवल पाँच वर्षों तक वैध है।
2. मानचित्र की इस स्वीकृति से सम्बंधित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, एच०पी०डी०ए०) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं होता है।
3. भवन चित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृति कराया है, केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास के कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा, तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास के उपयुक्त नहीं होगा वही शासन अथवा स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सार्वजनिक या सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव न हो।
7. बिजली की लाईन से 5 फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) न रखी जायेगी तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृति मानचित्र का एक मूल सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र एवं स्पेशिफिकेशन नियमों के अनुसार कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्ही की होगी।
10. यदि मानचित्र उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो शर्त भी मान्य रहेगी।
11. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टेप्स नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी भूमि पर करें।
12. कृपया फ्रन्ट व बैंक में शासनादेशानुसार वृक्ष भी लगायें।
13. स्वीकृत चित्र इसके साथ संलग्न है। भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर संलग्न रूप में कार्य पूरा होने का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र प्राधिकरण में दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
14. सुपरविजन एवं स्पेशिफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
15. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 16.05.16 का पालन करना होगा।
16. 300 वर्ग मी० या उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफटोप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
17. 12.00 मी० से अधिक ऊंचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बंधित भवनों से नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

18. अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल अतिथि गृह, विश्राम गृह, छात्रावास, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय, प्राविधिक संस्थाओं, प्रशिक्षण केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र बेन्कट हॉल, बारात घर, व 500 मी० से अधिक क्षेत्रफल समस्त आवासीय भवनों में सोलर वाटर हीटर संयंत्र की स्थापना करनी होगी।
  19. अशक्त व्यक्तियों की सुविधाओं हेतु प्राविधान करना होंगे।
  20. भू-स्वामित्व वाद-विवाद होने पर अथवा तथ्यों को छिपाकर मानचित्र स्वीकृत कराये जाने पर स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
  21. होटल में प्रकाश व्यवस्था, एअर कन्डीशनिंग, हीटिंग मैकेनिकल वैन्टीलेशन रसोईघर एवं अन्य विद्युत उपकरणों में प्रयोग होने विद्युत भार का ऑकलन विद्युत विभाग से कराये जाने के उपरान्त ही निर्धारित क्षमता का लोड लेना होगा।
  22. जलापूर्ति, ड्रेनेज एवं सैनीटेशन सिस्टम की प्लानिंग, डिजाइन निर्माण मानकों के अनुसार किया जायेगा। रसोई, गैस हाउस, स्टाफ विजिटर इत्यादि की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये जलापूर्ति हेतु पर्याप्त क्षमता का वाटर स्टोरेज रखना होगा।
  23. गर्म पानी के लिये विकास प्राधिकरण की प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार सोलर वाटर हीटिंग की संयंत्र की व्यवस्था करनी होगी।
  24. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार प्रयोग में लाया जायेगा एवं निर्माण पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राधिकरण से प्राप्त करना होगा अन्यथा की दशा में उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
  25. भवन एवं सन्निर्माण(नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तत्सम्बंधी उ०प्र० नियमावली 2009 के अन्तर्गत निर्माणाधीन भवन का श्रम विभाग, हापुड़ में पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। पंजीयन न किये जाने की स्थिति में श्रम विभाग द्वारा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
- संलग्नक:- एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

  
(विश्वजीत राय)  
सक्षम अधिकारी

पृष्ठांकन

/मानचित्र/एच०पी०डी०ए०/16

दिनांक:

प्रतिलिपि:-

1. श्री सी.पी. शर्मा अवर अभियंता, प्रवर्तन जोन 01 को इस आशय से कि स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण सुनिश्चित किया जाये एवं समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये।
2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पिलखुवा को सूचनार्थ।

  
(विश्वजीत राय)  
सक्षम अधिकारी